न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर।

उपस्थित: सुधीर कुमार–V एच0जे0एस0

(J.O. Code- UP 6546)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 927 सन 2026

(CNR No. UPFT–010024232026)

निर्भय सिंह पुत्र सूर्यभान सिंह निवासी लक्ष्मनपुर थाना राधानगर जनपद फतेहपुर।

..... आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

..... अभियोजक

अपराध संख्या: 230 सन 2025

धारा: 305, 317 (2) भारतीय न्याय संहिता

थाना: कल्यानपुर, जनपद फतेहपुर।

02.06.2026 :

आवेदक/अभियुक्त निर्भय सिंह की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या 230 सन 2025 धारा 305, 317(2) भारतीय न्याय संहिता थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से सूर्यभान सिंह द्वारा इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय में अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में न तो दिया गया, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अमित कुमार गुप्ता, जे0ई0 ने दिनांक 10.11.2025 को सम्बन्धित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की अंकित करायी कि दिनांक 08.11.2025 को सुबह 6:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि न्यू मलवां (DFCCIL) स्टेशन के स्टोर से क्रमश: सिविल विद्युत एवं एस एंड टी का कुंडी टूटी मिली तथा दरवाजे खुले पाये गये तदोपरान्त उक्त सभी विभागों के कर्मचारी बृज मोहन कर्मचारी सिविल, देवाशीष राम कनिष्ठ कार्यकारी विद्युत एवं अमित कुमार गुप्ता कनिष्ठ कार्यकारी एस एंड टी न्यू मलवां द्वारा स्टोर चेक किया गया तो निम्नलिखित DFCCIL सामग्री की चोरी पायी गयी– (PSU)(A)

CIVIL-NIL (A) Electrical-(1) OHE Dropper-534 NO. (2) Inclind dropper-30 NO. (B) ST-(1)Earth Cable (25sqr mm)-40mtr (2) DVR-01 NO. घटना के बाद जानकारी किया, जानकारी न होने पर शिकायत दर्ज कराने आया है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की बहस सुना तथा केस डायरी सहित अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि आवेदक निर्दोष है, उसे इस मामले में रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। प्राथमिकी काफी सोच समझकर परामर्श कर अत्यधिक विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। प्राथमिकी अज्ञात में दर्ज करायी गयी है और आवेदक का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। आवेदक के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई, कथित बरामदगी फर्जी है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र व प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और न ही कोई सी0डी0आर0 है। आवेदक कथित घटना के दिन गाजियाबाद में था। सह अभियुक्त की जमानत स्वीकार हो चुकी है। आवेदक सजायाफ्ता नहीं है। आवेदक दिनांक 20.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत का घोर विरोध करते हुए यह तर्क रखा है कि आवेदक/अभियुक्त यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है किन्तु दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। दौरान विवेचना पुलिस द्वारा दिनांक 15.05.2026 को सह अभियुक्त हरिओम शुक्ला को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 2,420/– रूपये बरामद किया गया तथा दिनांक 29.05.2026 को सह अभियुक्त अली रजा को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से आयुध, केबिल कापर तार, कापर तार आदि बरामद किया गया गिरफ्तार किया गया और उक्त बरामदशुदा रूपये व केबिल आदि प्रस्तुत प्रकरण में चोरी किये गये केबिल व तार तथा कुछ केबिल व तार को बेंचने से प्राप्त हुए रूपयों है। दिनांक 20.05.2026 को पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं उसके कब्जे से एक अदद कापर तार एवं मु0 610/– रूपये बरामद किये गये जो प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित तार व रूपये है। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित की गयी है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त का लम्बा आपराधिक इतिहास है आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

आवेदक/अभियुक्त पर आरोप है कि उसने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर न्यू मलवां (DFCCIL) स्टेशन के स्टोर से केबिल, तार आदि चोरी किया। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। अभियोजन प्रपत्रों के

अनुसार पुलिस बल द्वारा दिनांक 15.05.2026 को सह अभियुक्त हरिओम शुक्ला को गिरफ्तार किया जाना व उसके कब्जे से 2,420/– रूपये बरामद किया किया, दिनांक 29.05.2026 को सह अभियुक्त अली रजा को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया जाना व उसके कब्जे से आयुध, केबिल कापर तार, कापर तार आदि बरामद किया जाना तथा दिनांक 20.05.2026 को पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाना एवं उसके कब्जे से एक अदद कापर तार एवं मु0 60/– रूपये बरामद किया जाना तथा उक्त बरामदशुदा केबिल व तार प्रस्तुत प्रकरण में चोरी गया माल एवं कुछ माल को बेंचने से प्राप्त रूपये होना बताया गया है किन्तु कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी होना नहीं बताया गया है। अभिकथित अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा परीक्षणीय है। अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास होना बताया गया है किन्तु दोषसिद्ध किये जाने का कथन नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 20.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, केस की गम्भीरता, अपराध कारित करने में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका, दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विवेचन की पृष्ठभूमि में आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्तियुक्त आधार मौजूद है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त निर्भय सिंह की ओर से अपराध उपरोक्त में प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को उसके द्वारा मु0 50,000/– (पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर, निष्पादित करने पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1. आवेदक/अभियुक्त अन्तर्गत धारा 480 उपधारा 3 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उल्लिखित बन्धपत्र की शर्तो का कठोर पालन करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त विवेचना व विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा तथा आरोपपत्र प्रस्तुत होने की स्थिति में आरोप विरचित किये जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का बयान अंकित किये जाने इत्यादि की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होगा और स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।

4. आवेदक/अभियुक्त किसी भी अभियोजन साक्ष्य को दबाव में लेने या प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।

5. आवेदक/अभियुक्त इस मामले के तथ्य से सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न डरायेगा, न धमकायेगा और न ही प्रभावित करेगा।

6. आवेदक/अभियुक्त इस आशय का बन्धपत्र दाखिल करेगा कि वह विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी न्यायालय में उपस्थित होगा और धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान के समय स्थगन नहीं लेगा। इस शर्त की अवहेलना होने पर सम्बन्धित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि सम्बन्धित न्यायालय अभियुक्त के द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्ध विधिसम्मत आदेश पारित करे।

7. आवेदक/अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रत्येक माह की दो तारीख को सम्बन्धित थाने में हाजिरी देगा।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित थाना प्रभारी अधिकारी को अनुपालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

दिनांक: 02.06.2026

(**सुधीर कुमार– V**)
सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।

SUDHIR KUMAR
Digitally signed by SUDHIR KUMAR
Date: 2026.06.03 13:00:40 +05'30'